उत्तराखण्ड शासन
वित्त(वे0आ0–सा0नि0)अनु0–7
संख्याः 52–/xxvii(7)56/2012
देहरादून, दिनांकः 22 मार्च,2012

कार्यालय ज्ञाप

विषयः– दिनांक 01, अक्टूबर 2005 से राज्य में लागू अंशदायी पेंशन योजना के स्वायत्तशासी संस्थाऐं/अशासकीय विद्यालय/विश्वविद्यालय आदि में कियान्वयन के सम्बन्ध में स्पष्टीकरण।

राज्य सरकार की अधिसूचना संख्या – 21/XXVII(7) अं0पें0यो0/2005, दिनांक 25, अक्टूबर 2005 के द्वारा दिनांक 01 अक्टूबर 2005 को अथवा इसके बाद राज्य सरकार की सेवा में आए समस्त कार्मिक और जो शासन के नियंत्रणाधीन स्वायत्तशासी संस्थाओं और शासन से सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं में जिनमें राज्य कर्मचारियों की भांति पुरानी पेंशन योजना लागू थी, और उनका वित्त पोषण राज्य सरकार की समेकित निधि से किया जाता है, हेतु अनिवार्य रूप से अंशदान पेंशन योजना लागू है।

इस सम्बन्ध में अब तक समय–समय पर अधिसूचना संख्या–21/XXVII (7)अं0पें0यो0 / 2005, दिनांक 25 अक्टूबर, 2005, कार्यालय ज्ञाप संख्या –132/XXVII (7) / 2006, दिनांक 24 जुलाई, 2006, सं0 – 346/XXVII (7) / 2007, दिनांक 21 नवम्बर, 2007, सं0– 210/XXVII (7) / 2008, दिनांक 3 जुलाई, 2008, संख्या–643/XXVII (7) (अं0पें0यो0) / 2010 दिनांक 11,अगस्त, 2010 व संख्या–272/XXVII (7)56 / 2011 दिनांक 09 दिसम्बर, 2011 जारी किये जा चुके हैं।

पूर्व में स्वायत्तशासी संस्थाऐं/स्थानीय निकाय/अशासकीय विद्यालय/विश्वविद्यालय आदि जहां अंशदायी पेंशन योजना लागू है, तथा एकीकृत भुगतान प्रणाली के माध्यम से कोषागारों से वेतन आहरित नही होता है से सम्बन्धित कार्मिकों हेतु शासनादेश सं0 – 346/XXVII (7) / 2007, दिनांक 21 नवम्बर, 2007, सं0– 210/XXVII (7) / 2008, दिनांक 3 जुलाई, 2008, में अंशदान के लेखांकन व धनराशि के निवेश की प्रकिया निर्धारित की गयी थी।

शासनादेश संख्या–643/XXVII (7) (अं0पें0यो0) / 2010 दिनांक 11,अगस्त, 2010 द्वारा राज्य सरकार के कार्मिकों हेतु उक्त योजना का सफलतापूर्वक कियान्वयन हो रहा है। अब राजकीय कर्मचारियों की भांति राज्य की स्वायत्तशासी संस्थाऐं/निकाय अथवा सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं में कार्यरत कार्मिक जिनका वेतन कोषागारों से एकीकृत भुगतान लेखा प्रणाली से आहरित नही होता है और जिनमें राज्य कर्मचारियों की भांति पुरानी पेंशन योजना लागू थी, हेतु योजना के कियान्वयन के सम्बन्ध में श्री राज्यपाल निम्नलिखित व्यवस्था किये जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

1– राज्य सरकार की ओर से निदेशक लेखा एवं हकदारी, उत्तराखण्ड एवं सी0आर0ए0 व एन0पी0एस ट्रष्ट के मध्य अनुबन्ध की शर्तें उक्त संस्थाओं पर भी यथावत लागू होंगी।

2– ऐसी समस्त संस्थाऐं/विभाग राज्य स्तर पर 'एकल सम्पर्क बिन्दु' के लिए योजना से सम्बन्धित समस्त कियाकलापों के संचालन के लिए सी0आर0ए0 से इण्टरफेस के रूप में एक नोडल अधिकारी नामित करेंगें, जो योजना से सम्बन्धित समस्त कियाकलापों हेतु उत्तरदायी होगा।

3– योजना से आच्छादित कार्मिकों का डाटा व धनराशि क्रमशः सी0आर0ए0 व एन0पी0एस ट्रष्ट को प्रेषण से पूर्व उक्त संस्थाओं को पंजीकरण हेतु पी0एफ0आर0डी0ए0 (Pension Fund Regulatory and Development Authority) को सहमति पत्र (Letter of Consent) उपलब्ध कराना होगा जिसकी एक प्रतिलिपि सी0आर0ए0, एन0पी0एस0ट्रष्ट, सम्बन्धित विभाग के विभागाध्यक्ष व राज्य के नोडल आफिस निदेशालय लेखा एवं हकदारी, उत्तराखण्ड देहरादून को भी भेजी जायेंगी।

4– ऐसी संस्थाओं को सी0आर0ए0 में पंजीकरण हेतु मास्टर कियेशन फार्म (MCF), सहमति पत्र (Letter of Consent) के साथ सी0आर0ए0 को उपलब्ध करना होगा।

5– उपरोक्त प्रस्तर – 3 व 4 में उल्लेखित सहमति पत्र (Letter of Consent) व मास्टर क्रियेशन फार्म (MCF) प्रथम बार समस्त संस्थाओं को अनुमोदन हेतु निदेशक, लेखा एवं हकदारी के माध्यम से प्रेषित करने होंगे।

6– समस्त संस्थायें जिनमें उक्त योजना लागू है, एवं जो शासनादेश संख्या– 21/XXVII (7) अपेंयो/दिनांक 25/10/2005 में उल्लेखित शर्तें पूरी करते हों (शासन के नियंत्रणाधीन स्वायत्तशासी संस्थाओं और शासन से सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं में जिनमें राज्य कर्मचारियों की भांति पुरानी पेंशन योजना लागू थी, और उनका वित्त पोषण राज्य सरकार की समेकित निधि से किया जाता है) वे इस आशय का प्रमाण पत्र एवं संदर्भित शासनादेश भी निदेशालय लेखा एवं हकदारी को उपलब्ध करायेंगी।

7– शासनादेश सं0– 174 /XXVII (7)फ0मैने0 / 2009 दिनांक 21 जुलाई, 2009 के द्वारा राज्य में नई पेंशन योजना के सम्बन्ध में निदेशक लेखा एवं हकदारी को नोडल आफिस का कार्य सौपा गया है। अतः योजना की राज्य स्तर पर मोनिटरिग हेतु सी0आर0ए0 में डी0टी0ए0 (Directorate of Treasuries & Accounts), के रूप में निदेशक लेखा एवं हकदारी का पंजीकरण पूर्व में किया गया है।

8– योजना से सम्बन्धित सी0आर0ए0 में पंजीकरण हेतु समस्त संस्थाओं को सी0आर0ए0 द्वारा निर्धारित प्रारूप के अनुसार डी0टी0ओ0 (District Treasuries office) व डी0डी0ओ0 (Drawing Disbursing Officer) के फार्म क्रमशः N2 व N3 भरकर सी0आर0ए0 में जमा करने होंगे।

9– सी0आर0ए0 में कन्ट्रीब्यूशन फाईल अपलोड एवं ट्रष्टी बैंक में धनराशि जमा करने हेतु दो माडल उपलब्ध हैं। केन्द्रीकृत माडल जिसमें किसी विभाग/संस्था द्वारा राज्य स्तर पर समस्त आंकड़ों व धनराशि को केवल एक कार्यालय द्वारा क्रमशः सी0आर0ए0 व ट्रष्टी बैंक को हस्तगत किया जायेगा। विकेन्द्रीकृत माडल में राज्य के विभिन्न स्थानों पर स्थित कार्यालयों से कन्ट्रीब्यूशन फाईल व धनराशि अपलोड की जायेगी। इस सम्बन्ध में उपरोक्त संस्थाऐं अपनाए गये प्रारूप से मास्टर क्रियेशन फार्म (MCF) के माध्यम से पंजीकरण के समय सी0आर0ए0 को अवगत करांऐंगी।

10– योजना से सम्बन्धित धनराशि व आकड़ों का प्रेषण इलैक्ट्रांनिक माध्यम से होता है। अतः जिन संस्थाओं /विभागों में राज्य स्तरीय अनेक कार्यालय हैं, में योजना का प्रारूप सी0आर0ए0 को डाटा अपलोड व ट्रष्टी बैंक को धनराशि का प्रेषण हेतु विभागाध्यक्ष स्तर पर केन्द्रीकृत (Centralised) मोड अपनाया जायं, जिससे पूरे विभाग में एकरूपता बनी रहेगी।

11– उपरोक्त पंजीकरण प्रकिया के उपरान्त योजना से आच्छादित कार्मिकों का पंजीकरण सी0आर0ए0 से निर्धारित प्रान (Permanent retirement Account Number) फार्म Annexure S1 के माध्यम से सी0आर0ए0 के फैसिलिटेशन सेंटर, से किया जायेगा।

12– उपरोक्त फार्म एवं प्रारूप सी0आर0ए0 की वेवसाईट www.npscra .nsdl.co. in\downloads\ Forms\ Autonomous bodies पर उपलब्ध है, जिनको आसानी से डाउनलोड किया जा सकता है।

13– एक बार सी0आर0ए0 में कार्मिकों के पंजीकरण के बाद संस्थाओं को चयनित माडल (Centralized or Decentralized) के अनुरूप सब्सकाइबर कन्ट्रीब्यूशन फाईल सी0आर0ए0 सिस्टम में अपलोड की जानी होगी एवं सम्बन्धित धनराशि ट्रष्टी बैंक में जमा की जायेगी। फाईल अपलोड करने के सम्बन्ध में आवश्यक प्रशिक्षण पंजीकरण के उपरान्त सी0आर0ए0 द्वारा दिया जायेगा।

14– पंजीकरण प्रकिया के पूर्ण होने के उपरान्त लिगेसी डाटा को यथाशीघ्र अपलोड करना सुनिश्चित किया जाये।

15– उक्त संस्थाओं में योजना से आच्छादित कार्मिकों का सी0आर0ए0 में खाते खुलवाने, ट्रान्जक्शन चार्ज व आकड़ों का वार्षिक अनुरक्षण आदि के सम्बन्ध में एन0एस0डी0एल0 (सी0आर0ए0) को राज्य सरकार के साथ अनुबन्ध के अनुसार भुगतान सम्बन्धित संस्थाओं द्वारा ही किया जायेगा।

16– शासनादेश संख्या–643/XXVII (7) (अं0पें0यो0) / 2010 दिनांक 11,अगस्त, 2010 में प्रतिनियुक्ति पर गये राजकीय कार्मिकों के जमा अंशदान का ड्राफ्ट निदेशालय लेखा एवं हकदारी को उपलब्ध कराने हेतु व्यवस्था की गयी थी। परन्तु उपरोक्त व्यवस्था के बाद इन संस्थाओं/

विभागों में प्रतिनियुक्ति पर कार्यरत कार्मिकों का अंशदान वेतन आहरित करने वाले विभाग/संस्था द्वारा अंशदान सीधे सी0आर0ए0 व ट्रष्टी बैंक में जमा किया जायेगा।

उक्तवत निर्गत की जा रही संशोधित व्यवस्था के दृष्टिगत इस विषय में जारी अधिसूचना कार्यालय ज्ञाप केवल उक्त सीमा तक संशोधित समझे जाये।

भवदीय,
(हेमलता ढौंडियाल)
सचिव,वित्त।

संख्या 52 (1)/XXVII (7)56/ 2012, तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवष्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1– समस्त प्रमुख सचिव/सचिव उत्तराखण्ड शासन।
2– समस्त विभागाध्यक्ष एवं कार्यालयाध्यक्ष उत्तराखण्ड।
3– महालेखाकार, उत्तराखण्ड देहरादून।
4– रजिस्ट्रार जनरल, मा0 उच्च न्यायालय उत्तराखण्ड नैनीताल।
5– स्थानिक आयुक्त उत्तराखण्ड नई दिल्ली।
6– सचिव, विधान सभा उत्तराखण्ड देहरादून।
7– सचिव, श्री राज्यपाल उत्तराखण्ड देहरादून।
8– उत्तराखण्ड सचिवालय के समस्त अनुभाग।
9– समस्त कोषागार अधिकारी उत्तराखण्ड।
11– निदेशक, लेखा एवं हकदारी, उत्तराखण्ड।
10– निदेशक, उत्तराखण्ड प्रशासनिक अकादमी नैनीताल।
11– उप निदेशक, राजकीय मुद्रणालय रूड़की।
12– वरिष्ठ तकनीकी निदेशक, एन0आई0सी0 उत्तराखण्ड एकक देहरादून।
13– वित्त आडिट प्रकोष्ठ,उत्तराखण्ड शासन।
14– गार्ड फाईल।

आज्ञा से
(शरद चन्द्र पाण्डेय)
अपर सचिव, वित्त